उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 61/2021–22

दुलार राय.....अपीलकर्त्ता

बनाम

अर्जून राय.....उत्तरकारी।

आदेश

05.04.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–33/2007–08 में पारित आदेश दिनांक–13.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा खिजुरिया अंचल–जरमुण्डी एक प्रधानी मौजा है। मौजा के गेंजर प्रधान जीरो राय प्रधान थे। गेंजर सर्वे के अनुसार जीरो राय प्रधान के अन्य दो भाई वीरो राय वो हीरा राय थे। प्रधान जीरो राय की मृत्यु हो चुकी है। उनके दो पुत्री जलसरी देवी एवं भूतिया देवी थी। जलसरी देवी की शादी मौजा रायकुण्ड बाराटॉड़, जिला–देवघर में हो चुकी है एवं वहीं रहती है। अपीलकर्त्ता गेंजर प्रधान जीरो राय के द्वितीय पुत्री भूतिया देवी के पुत्र है एवं मौजा खिजुरिया में ही रहते है। इस संबंध में बरमसिया पंचायत के मुखिया के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मौजा खिजुरिया के प्रधान पद पर गेंजर प्रधान जीरो राय के भाई वीरो राय के परपोता अर्जुन राय को नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) गेंजर प्रधान जीरो राय के मृत्यु के पश्चात् उनकी पुत्री भूतिया देवी द्वारा प्रधान के हिस्से के सम्पत्ति का भोग–दखल करती है। पूर्व प्रधान का सेवा एवं मृत्यु के पश्चात् श्राद्ध कर्म आदि इनके द्वारा किया गया है, भूतिया देवी की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र अपीलकर्ता द्वारा गेंजर प्रधान का सम्पत्ति का भोग–दखल किया जा रहा है तथा उनके घर में ही निवास करते है।

(2) शिड्यूल–1 Hindu Succession Act 1956 के अनुसार अपीलकर्त्ता का दावा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर दावा बनता है।

(3) अपीलकर्त्ता मौजा खिजुरिया में निवास करता है, इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड तथा मुखिया का प्रमाण–पत्र के आधार पर वह मौजा खिजुरिया में निवास करता है।

(4) उत्तरकारी को मौजा के रैयतों द्वारा न्यायालय के समक्ष आमसहमति हाथ उठाकर नहीं दी गई है, बल्कि आवेदन में लिखकर दिया गया है, जो नियमानुसार गलत है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता दुलार राय गेंजर प्रधान के पुत्री भूतिया देवी के पुत्र है, किन्तु 16/–रैयतों की उपस्थिति में तैयार वंशावली में अपीलकर्ता दुलार राय, पिता–स्व0 ठाकुर राय ग्राम–झिल्लीघाट, जिला–देवघर दर्शाया गया है। उत्तरकारी खतियानी रैयत वीरो राय के जेष्ठ परपोता लगते है एवं पूर्व प्रधान के वंशज है। उत्तरकारी गेंजर प्रधान के सबसे नजदीकी में आते है। फलस्वरूप उन्हें संथाल परगना कास्तकारी के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

<u>प्रावधान</u>

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

1. Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature –Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता गेंजर प्रधान जीरो राय के द्वितीय पुत्री भूतिया देवी के पुत्र है जो अपने नाना के घर में निवास करते है तथा उनके सम्पति का भोग दखल करते है। उत्तरकारी गेंजर प्रधान गेंजर जीरो राय के भाई के परपोता है। फलस्वरूप सर्व प्रथम प्रधान के वंशज अर्थात पुत्री के पुत्रों के बारे में विचार किया जाना चाहिए। उन्हें प्रधान पद के लिए अयोग्य पाये जाने के पश्चात् ही गेंजर प्रधान के भाई के वंशज के बारे में विचार किया जाना चाहिए था, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है, एवं विलोपन के योग्य है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा पुर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सर्व प्रथम अपीलकर्त्ता के दावों पर विचार किया जाय, उनको प्रधान पद के लिये योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अन्य आवेदकों पर विचार किया जाय।

132 2/6/22

लेखापित एवं संशोधित

2/5/4/22

उपायुक्त,
दुमका।

2/5/4/22

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 11:57:02 +05:30
Location: 169.254.227.244